U.Ts on quarterly and annual basis which is used for compilation of accidents statistics for the country as a whole, On the basis of this data, attention is given to States showing increasing trend of accidents through various programmes. Besides, all States are also advised from time to time to take various steps to reduce road accidents.

Issue of Letters of Intent for Providing Basic Telephone Services

1352. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state;

(a) the particulars of the circles for which no letters of intent has so far been issued for providing Basic Telephone Services;

(b) the action proposed in respect of such circles; and

(c) the time frame within which the licensing process is expected to be completed for these circles?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) In respect of Eleven Circles, viz Karnataka, Rajasthan, M.P., U.P. (East), West Bengal, Himachal Pradesh, A&N Islands, Kerala, Assam, J&K, North-East, no Letter of Intent has been issued.

(b) (i) the highest bids received in respect of Karnataka, Rajasthan and Madhya Pradesh are under consideration of the Government.

(ii) No bid was received for J&K Circle and for the remaining Circles, the highest bids received earlier were not accepted by the Government.

(c) No such time frame has been fixed by the Government.

मध्य प्रदेश में एस० टी० डी०/आई० एस० डी०/पी० सी० ओ० टेलीफोन

1353. **श्री अजीत जोगी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में जिला-वार कितने एस० टी० डी०/आई० एस० डी०/सार्वजनिक टेलीफोन कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से कितने सार्वजनिक टेलीफोनों का आवंटन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को किया गया है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं; और

(च) इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

(ख) अलग-अलग श्रेणियों के लिए कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। एस डी पी सी ओ आबंटन समिति द्वारा केवल अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों और विकलांग व्यक्तियों को तरजीह दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) और (च) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र०सं०	जिले का नाम	कार्यरत एसटीडी/आई एस डी पी सीओ
1.	बालघाट	110
2.	बस्तर	60
3.	बेतुल	81
4.	भिंड	74
5.	भोपाल	1084
6.	बिलासपुर	96
7.	छतरपुर	96